न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 09/2018
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र भूराराम (फौत)
   1/1 माया देवी पत्नी स्व0 प्रहलाद
   1/2 पिंकी पुत्री स्व0 प्रहलाद
   1/3 ज्योति पुत्री स्व0 प्रहलाद
   1/4 प्रिया पुत्री स्व0 प्रहलाद
2. पेमाराम पुत्र भूराराम (अविवाहित फौत)
3. नन्दा राम पुत्र भूराराम
4. प्रभाती देवी पुत्री भूराराम

समस्त जाति बलाई निवासी सिनोदिया तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 05.08.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक द्वारा न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स पेश किया है कि सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम सिनोदिया तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर 519 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा किस्म गै0 मु0 तलाई सिवायचक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 में प्रहलाद, पेमाराम, नन्दा राम पि0 भूरा जाति बलाई निवासी सिनोदिया के नाम खाता संख्या 84 खसरा नम्बर 519/2 रकबा 02 बिस्वा किस्म बारानी–3 दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 373 से भूरा पुत्र श्री भैरू जाति बलाई निवासी सिनोदिया को जरिये आवंटन दिनांक 08/09/1978 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0 मु0 तलाई दर्ज थी, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर के समक्ष रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31/01/2006 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स स्वीकृति हेतु मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 07/06/2013 की पालना में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर और मूल आवंटन आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो नवीन रेफरेन्स न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को निर्देशित किया गया। तहसीलदार फुलेरा द्वारा नवीन रेफरेन्स न्यायालय में पेश किया गया। मुताबिक रेफरेन्स अप्रार्थीयान को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए। तामील कुनिन्दा द्वारा जारीशुदा नोटिस पर अप्रार्थी का पता सही नहीं होने एवं दर्ज पते पर निवास नहीं करने का अंकन किया गया है। साथ ही प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा विवादग्रस्त आवंटन आदेश की सूचना भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रकरण प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा की जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीयान के सही पते की सूचना समय पर पेश करनी चाहिए, जिसमें प्रार्थी तहसीलदार असफल रहे है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जॉच कर आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित आवंटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण 01 माह में पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 05.08.2025 को सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर